

International Journal of Sociology and Humanities

ISSN Print: 2664-8679
ISSN Online: 2664-8687
Impact Factor: RJIF 8
IJSH 2023; 5(2): 65-69
www.sociologyjournal.net
Received: 24-09-2023
Accepted: 30-10-2023

डॉ. राजेन्द्र सिंह खीची
सहायक आचार्य, समाजशास्त्र
विभाग, जय नारायण व्यास
विश्वविद्यालय, जोधपुर,
राजस्थान, भारत

जी 20 – महिला विकास और परिवर्तन

डॉ. राजेन्द्र सिंह खीची

DOI: <https://doi.org/10.33545/26648679.2023.v5.i2a.93>

सारांश

इस आलेख में विभिन्न कालखंडों में भारतीय महिलाओं की स्थिति एवं परिवर्तनों पर विस्तार से चर्चा की गई है। वैदिक काल से वर्तमान समय तक भारतीय महिलाओं की विभिन्न स्थितियों में आए परिवर्तनों पर चर्चा की गई है। इस आलेख में बताया गया है की वैदिक काल पश्चात् विभिन्न कालखंडों में भारतीय महिलाओं की स्थितियों में नकारात्मक परिवर्तन आए लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् भारतीय महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आने प्रारंभ हुए। वर्तमान समय में भारतीय महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन में जी 20 की व्याधि भूमिका है इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इस आलेख में जी 20 एवं भारत द्वारा इसकी अध्यक्षता पर चर्चा करते हुए जी 20 में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों की चर्चा की गई है। जी 20 में महिलाओं के संदर्भ में विशेष प्रावधानों से महिला विकास में किस स्तर तक परिवर्तन आने की उम्मीद है इस पर भी चर्चा की गई है। आलेख के अंत में निष्कर्ष के साथ कुछ सुझाव दिए गए हैं जिस पर अमल करने से परिणाम संभवतया अधिक सकारात्मक एवं अल्प समय अवधि में प्राप्त किए जा सकते हैं।

कूटशब्द : W-20, G-20 एम्पॉवर, वसुधैव कुटुम्बकम, उद्यमशीलता, लैंगिंग समानता, ब्रिस्बेन शिखर सम्मेलन, वित्तीय एवं डिजिटल समावेश, आर्थिक प्रतिनिधित्व।

प्रस्तावना

भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति कभी स्थिर नहीं रही। विभिन्न कालखंडों में भारतीय महिलाओं की स्थितियों में निरन्तर उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जहाँ हम वैदिक काल को महिलाओं का स्वर्णिम काल कहते हैं, तत्कालीन साहित्य में पर्दा-प्रथा, लिंग भेद, शिक्षा से दूरी अथवा घर तक सीमित भूमिका का उल्लेख नहीं मिलता (मिश्र; 2006 : 433) वहाँ मध्यकाल (मुगल काल) को अत्यधिक दयनीय एवं यातनायुक्त कालखण्ड कह सकते हैं। मध्यकाल पश्चात् बिट्रोश काल में उत्तरार्द तक महिलाओं की स्थिति में कोई बड़े परिवर्तन तो नहीं आए लेकिन यह कहा जा सकता है कि विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा महिला उत्थान के लिए प्रयास अवश्य किए गए। महिला विकास क्षेत्र में यह कथन सर्वकालीन तथा लिंग तटस्थ है कि महिला विकास का स्वरूप विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप होता है। किसी भी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियाँ दृष्टिगत होते ही सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अमुक देश में महिला की स्थिति एवं सम्मान के अतिरिक्त समाज में उसकी भूमिका क्या है। यह सर्वमान्य सत्य है की देश की लगभग आधी आबादी अर्थात् महिलाओं का यदि समुचित विकास नहीं हुआ तो प्रगति के मायने अधूरे ही रहेंगे। विकास कार्यों में लैंगिंग समानता आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि दीर्घ समयावधि से विकास से वंचित रही महिलाओं को भी योग्य, सक्षम व प्रगतिशील बनाया जाए। इसी के मद्देनजर तत्कालीन समाज सुधारकों ने महिला उत्थान में शिक्षा को प्रमुख माध्यम बनाया। शिक्षा जागरूकता उत्पन्न करती है और जागरूकता अधिकारों से अवगत करवाती है। ज्ञान एवं बुद्धि व्यक्ति को चौकन्ना एवं जागरूक बनाती है (यादव ; 2021 : 62)।

किसी भी समाज के चहुमुखी विकास में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। यह भूमिकाएं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में देखी जा सकती है। जहाँ महिलाएं पुरुषों के कार्यों में सहयोग कर विकास में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाती हैं वहीं गृहकार्यों को पूर्णता प्रदान करते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना, अतिथियों का आदर सत्कार करना, संपर्ण रिश्तेदारी निभाना, हमउम्र सदस्यों के साथ सकारात्मक सामाजिकरण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। सामाजिक विकास में इतनी अहम भूमिका वाली स्वयं महिला की विकास दर निम्न स्तरीय क्यों रही? इसे जानने के लिए हमें यह भी जान लेना चाहिए कि विभिन्न कालखंडों में भारतीय महिलाओं की स्थिति कैसी रहीं।

वैदिक काल

सम्मान, अधिकारों एवं भूमिका की दृष्टि से वैदिक काल भारतीय महिलाओं के लिए स्वर्ण काल माना

Corresponding Author:
डॉ. राजेन्द्र सिंह खीची
सहायक आचार्य, समाजशास्त्र
विभाग, जय नारायण व्यास
विश्वविद्यालय, जोधपुर,
राजस्थान, भारत

जाता है। इस काल में महिलाओं को पूजनीय माना गया था। समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान सभी अधिकार प्राप्त थे। पुत्र के अभाव में उसे पिता की संपत्ति की अधिकारिणी माना जाता था। महारानियां राजभवन में राजाओं के समकक्ष बैठकर नीति-निर्धारण करने एवं कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अहम् भूमिका निभाया करती थीं। वैदिक काल में पति की पूर्णता पत्नी अस्तित्व में निहीत थी। ऋग्वेद में भी महिला और पुरुष को धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्णता में समान अधिकार प्राप्त दर्शाए गए हैं। महिला की अनुपस्थिति में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं समझा जाता था। महिला शिक्षा के लिए प्रथक से गुरुकुल की व्यवस्था के साथ-साथ कन्याएं बालकों के साथ भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र थी। इस काल में ना तो पर्दा-प्रथा, सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन था और ना ही धर्म के आधार पर महिला का किसी तरीके से शोषण किया जाता था अर्थात् धर्म क्षेत्र में भी महिलाओं को पुरुषों के समान सभी अधिकार प्राप्त थे। इस काल खंड में विधवा महिलाएं यातनामय जीवन न जीकर समस्त सुख सुविधाओं का भोग किया करती थीं। समाज द्वारा उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध अथवा निर्योग्यता नहीं थी। विधवा जीवन पर कोई पाबंदी ना होते हुए विधवा पुनर्विवाह को भी समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता था। इस काल में महिलाओं को शब्द अध्ययन के साथ शस्त्रज्ञान लेने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त था। कन्या के विवाह के समय कन्या की इच्छाओं को प्राथमिकता दी जाती थी। नव वधू का परिवार में सभी सदस्यों द्वारा आदर व सम्मान किया जाता था। स्त्री को गृहस्थामीनी, ग्रहणी और सहचार्मणी की संज्ञा दी गई थी। इस काल में नारी रक्षा को वीरता मानते हुए उसके अपमान को पाप समझा जाता था। इस काल में पुत्र एवं पुत्री जन्म को समान महत्व दिया जाता था। (गांधी ; 1988)।

उत्तर वैदिक काल

ऋग्वेद के अस्त से बौद्ध धर्म के उदय तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। इस काल का धर्मदर्शन एवं संस्कृति के इतिहास में अपना अलग महत्वपूर्ण स्थान है। (विद्याशंकर ; 2007 : 342)। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के प्रति पुरुषों की परिवर्तित सोच से महिलाओं की स्थिति में भी नकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उत्तर वैदिक काल में उच्च वर्गों की महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार तथा शिक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस काल में मनु परंपरा प्रारंभ हुई। मनुस्मृति में सर्वप्रथम महिलाओं की स्वतंत्रता के साथ वेदों के अध्ययन एवं ज्ञज करने पर भी रोक लगा दी गई। महिलाओं को मात्र पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्णता तक सीमित कर दिया गया। उपनयन संस्कार को समाप्त करने, शिक्षा की उपेक्षा एवं विवाह आयु को कम करने से स्त्रियों की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ना प्रारंभ हुआ। महिला के प्रति सम्मान, समानता, शिक्षा प्राप्त करना, मंत्र उच्चारण करने आदि के क्षेत्रों में उत्तर वैदिक काल में शिथिलता आनी प्रारंभ हो गई। इन सभी क्षेत्रों में शिथिलता अथवा समाप्ति के कारण महिला पूर्णतया आश्रित जीवन जीने को विवश होने लगी। अतः इस तरह उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति में गिरावट आना प्रारंभ हो गया (सिंघल ; 1991 : 233)।

धर्मशास्त्र काल

ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध समय को धर्मशास्त्र काल माना गया है। इस कालखंड में वेदों के नियमों को पूर्णतया दरकिनार करते हुए मनुस्मृति को ही व्यवहार की कसौटी माना गया। यह सामाजिक एवं धार्मिक संकीर्णता का काल था। इस कालखंड में महिला पूर्णतया संकीर्णता का शिकार हुई। किसी समय में ग्रहलक्षणी मानी जाने वाली महिला को संपत्ति के अधिकारों से बेदखल कर, मात्र सेविका का रूप देते हुए उसे परतंत्र, पराधीन,

निःसहाय एवं दुर्बल बना दिया गया। इस युग में महिला पतन के प्रमुख कारणों में से एक कारण उसकी विवाह आयु को 10 से 12 वर्ष तक सीमित कर देना माना गया है। इस युग में सामाजिक प्रथाओं का आधार धर्म को माना गया अतः इस कालखंड को महिला स्थिति के पतन का आधारभूत कालखंड माना जा सकता है (शर्मा व व्यास ; 2019 : 09)।

मध्यकाल

13वीं से 18वीं शताब्दी तक के कालखंड को मध्यकाल माना गया है अर्थात् मुगल काल को मध्यकाल कहा गया है। इस कालखंड में मात्र राजपरिवारों की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था वह भी घरों तक सीमित था। इस काल में हिंदू समाज पर मुस्लिम आक्रांताओं का प्रभाव बढ़ने की वजह से भारतीय संस्कृति की रक्षा करना आवश्यक हो गया था अतः एक बार पुनः प्रतिबंधों का शिकार महिला ही हुई। इस कालखंड में महिला स्थिति के पतन के साथ ही उसकी स्थिति दयनीय मार्ग पर चल पड़ी थी। मुस्लिम आक्रांता मात्र अधिपत्यता के लक्ष्य के साथ ही यहां आए थे वे मात्र युद्ध सामग्री के अतिरिक्त और कुछ अपने साथ नहीं लाए थे अर्थात् वे अपने साथ महिलाएं नहीं लाए थे। मुस्लिम आक्रांताओं का अधिपत्य एवं एकतरफा शासन होने की वजह से वे यहां की महिलाओं को अपनी रानियां अथवा दासिया बनाने लगे। भारतीय समाज के पुरुषों के समक्ष महिला रक्षा के लिए पर्दा प्रथा के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं रहा। यही वह समय था जब भारतीय समाज में पर्दा प्रथा प्रभावी रूप से लागू कर दी गई। इस कालखंड में महिलाओं का जितना पतन हुआ उतना पूर्व के किसी कालखंड में नहीं हुआ। इस कालखंड में रक्त परिव्रता को प्राथमिकता देते हुए कन्याओं की विवाह आयु को मात्र 5 से 6 वर्ष तक सीमित कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह पर पाबंदी लगाते हुए बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलने लगा। मुस्लिम आक्रांताओं की कूदृष्टि से बचने एवं उनसे अपनी अस्मिता को बचाने के लिए सती प्रथा के प्रचलन के साथ बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों ने अपनी जड़े जमा ली (harm BN ; 1973 : 349)।

ब्रिटिश काल

संपूर्ण ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा भारतीय महिलाओं के दमन संबंधित कोई विशेष प्रमाण दृष्टिगत नहीं होते। इस कालखंड में महिला उत्थान के लिए कुछ प्रयत्न भारतीय समाज सुधारकों द्वारा किए गए। परिणामस्वरूप विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। भारतीय बुद्धिजीवियों एवं समाज सुधारकों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप बाल विवाह एवं सती प्रथा निषेध कानून इसी कालखंड में बना जिसके परिणामस्वरूप भारतीय महिलाओं को कुछ राहत अवश्य मिली। इस कालखंड में भारतीय समाज सुधारकों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भारतीय महिला की तत्कालीन स्थितियों में कोई नकारात्मक गति प्रदान नहीं हुई लेकिन उनकी स्थिति एवं निर्योग्यता में कोई विशेष परिवर्तन भी नहीं आया (देसाई ; 1982 : 15)।

स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात्

भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं परिवर्तन की नींव स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में ही भारतीय समाज सुधारकों द्वारा रखी जा चुकी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् यह प्रयास और अधिक प्रभावी साबित होकर सकारात्मक परिणाम लाने लगे। महिला उत्थान की कई सरकारी योजनाओं के कारण अब महिलाओं को शिक्षित होकर कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित करने के अवसर मिलने लगे। वैश्वीकरण एवं औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप अब महिलाएं आर्थिक क्षेत्रों में भी प्रवेश करने लगी। संचार साधनों में वृद्धि के कारण अब भारतीय महिलाएं

दूसरों के विचारों से अवगत होने के साथ ही स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति भी करने लगी (डॉ लक्ष्मी ; 2018 : 19)। यही कारण रहे कि श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती यशोदा देवी, सावित्रीबाई फुले, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, महारानी गायत्री देवी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू रीता फारिया पावेल, मीरा कुमार, विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं ने अपने क्षेत्र में अपनी सफलताओं का लोहा मनवाकर शेष भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनीं।

विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरणादायक सफलता प्राप्त कुछ भारतीय महिलाएँ 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले ने देश एवं समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम शिक्षिका थी। उन्होंने 1848 में पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी एवं सन् 1852 में फूले ने अछूत बालिकाओं के लिए भी विद्यालय की स्थापना की थी (शिमला ; 2021 : 94–95)। 24 जनवरी 1966 को भारत में तीसरे लेकिन पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी को नियुक्त किया गया। 25 जुलाई 2007 को भारत गणराज्य के शीर्ष पद राष्ट्रपति पर श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे राजस्थान की राज्यपाल भी थीं (शिमला ; 2021)। विष्यात कवित्री एवं महिला स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। वे संविधान सभा की सदस्य भी थीं। वे भारत देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनीं (शिमला ; 2021 : 124) सन् 1964 की डाक टिकट पर श्रीमती सरोजिनी नायडू का चित्र था। किसी भी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सुचेता कृपलानी (मूल नाम सुचेता मजूमदार) संविधान सभा की सदस्य भी थीं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन वे प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहलाई। सन् 2009 के आम चुनावों के पश्चात् देश के इतिहास में पहली बार एक महिला, मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुनी गई (शिमला ; 2021 : 131)। ‘आयरन गर्ल’ के नाम से विष्यात रेलवे सुरक्षा बल में कॉन्स्टेबल की पुत्री कर्णम मल्लेश्वरी ने एक गरीब परिवार से होते हुए भी अपने बचपन की रुचि खेलकूद को जारी रखते हुए महिला भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ने सन् 2000 में ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर ओलंपिक खेलों में भारत के लिए किसी महिला खिलाड़ी द्वारा पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनीं। साठ के दशक में विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में गरीब देश माना जाने वाला भारत विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने के लिए जूझ रहा था उस समय एक भारतीय महिला रीता फारिया पावेल ने सन् 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर सभी को चौंका दिया। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली रीता फारिया न केवल पहली भारतीय बल्कि एशिया मूल की पहली विश्व सुंदरी मनी। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरुआती वर्षों में कुछ भारतीय महिलाओं ने सफलता का परचम लहराकर शेष भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनीं। वर्तमान समय में जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू ने जीत दर्ज की। वे इस पद के लिए देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होने के साथ पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैदिक काल पश्चात् जहां भारतीय महिलाओं की स्थितियों में निरंतर गिरावट आई वहीं स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् विभिन्न समाज सुधारकों एवं तत्कालीन सरकारों द्वारा महिला उत्थान के क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं में विशेष प्रावधानों के परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति में चाहे मंद गति से ही सही लेकिन सकारात्मक परिणाम आने प्रारंभ हुए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जहां कई क्षेत्रों में महिलाएँ अग्रिम पक्कि में दृष्टिगत हो रही हैं वहीं शारीरिक दमखम वाले क्षेत्रों में भी सक्रिय भागीदारी निभाने लगी हैं। वे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षा, विज्ञान आदि क्षेत्रों के अतिरिक्त

प्रशासनिक क्षेत्र, पुलिस, सेना आदि को भी अपने पेशे के रूप में चुनने लगी हैं। वर्तमान समय में जी 20 में महिला विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित होने के कारण महिला विकास में सकारात्मक परिवर्तन आने की पूर्ण संभावना है।

स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् महिला विकास के क्षेत्र में तत्कालीन सरकारों के साथ समाज-सुधारकों ने भी उत्कृष्ट कार्य किए हैं। जी 20 एवं वर्तमान समय में भारत को इसकी अध्यक्षता भारतीय महिला विकास की दिशा में एक बड़े परिवर्तन की सुदृढ़ उम्मीद को जगाता है।

आज विश्व के 19 देश एवं एक संगठन (यूरोपियन यूनियन) एक पटल पर एक साथ नजर आ रहे हैं, जिसकी वर्तमान में अध्यक्षता हमारा देश भारत कर रहा है। जी 20 की अध्यक्षता कर रहा भारत महिला विकास में एक बड़े परिवर्तन के लिए योजनबद्ध तरीके से कठिबद्ध है। जी 20 की अध्यक्षता भारत को उपयुक्त समय पर मिली है। कोरोना काल के तीन वर्षों के लम्बे समय से पिछित विभिन्न देश एक सुरक्षित स्थिति में पहचाने को प्रयासरत है। जी 20 की अध्यक्षता में भारत महिला विकास एवं लैंगिक समानता पर अत्यधिक बल दे रहा है। घरेलु मोर्चे पर भारत सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं के समुचित विकास की प्रतिबद्धता के साथ ‘आत्मनिर्भर भारत’ एजेंडे में महिला विकास को सर्वोपरि रखा है। सरकार समाज के स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए ‘नारी शक्ति’ की महत्ता को पहचान रही है इसलिए मात्र विकास के लाभार्थियों के रूप में ही नहीं, अपितु विकास के प्रेरक एवं परिवर्तन के वाहक के रूप में भी महिलाओं की भूमिका पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। (कांत ; 2023 : रा. प.)

क्या है G-20 : जी 20 समूह का गठन 1999 में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है। जी 20 देशों में दुनिया के 60 प्रतिशत आबादी, वैश्विक लक्ष्य का 85 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत शामिल है। जी 20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, साऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। जी 20 सम्मेलन में स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

जी 20 में भारत की अध्यक्षता :- Group of Twenty (G-20) में विश्व के 19 देश व एक संगठन (यूरोपियन यूनियन) शामिल है। जी 20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुददों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने इसकी अध्यक्षता 1 दिसम्बर 2022 को ग्रहण की थी जो कि 30 नवम्बर 2023 तक निरन्तर रहेगी (<https://www.g20.org/about-g20>)।

जी 20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। लोकतन्त्र और बहुपक्षवाद के लिए गहराई से प्रतिबद्ध राष्ट्र, भारत की जी 20 की अध्यक्षता एक ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत सभी की भलाई के लिए व्यवहारिक वैश्विक समाधान ढूँढ़कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कठिबद्ध है और ऐसा करने से ही ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ या ‘विश्व एक परिवार है’ की सच्ची भावना प्रकट होती है (<https://g20.mygov.in>)।

‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ :- जी 20 में भारत की अध्यक्षता पर भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को इस अवसर का उपयोग करने को कहा। कहा की हमें वैश्विक भलाई पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। जी 20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़े

अवसर के रूप में आई है। हमें इस अवसर का पूरा उपयोग करते हुए वैशिक भलाई एवं विश्व कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। शांति हो या एकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या सतत विकास, भारत के पास इन चुनौतियों का समाधान है। हमने 'एक धरती एक परिवार, एक भविष्य' की जो थीम दी है वह हमारी 'वसुधैव-कुटुम्बकम' की प्रतिबद्धता को दर्शाता है (newsonair.com)

सहभागी समूह :- भारत की अध्यक्षता में अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित 11 सहभागी समूहों के साथ व्यापक विचार-विमर्श आयोजित किए जा रहे हैं। सहभागी समूह, जिसमें प्रत्येक जी 20 सदस्य देश के गैर-सरकारी प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं जी 20 नेताओं को सिफारिशें प्रस्तुत कर नीति-निधारण की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। यह सहभागी समूह बिजनेस-20, सिविल 20, श्रम 20, संसद 20, विज्ञान 20, एसएआई 20, स्टार्ट-अप 20, थिंक 20, अर्बन 20, वुमन 20 और युथ 20 हैं (newsonair.com)।

जी-20 और महिला विकास

अर्थव्यवस्था और समाज दोनों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चितता प्रदान कर उनके प्रवेश को सहज बनाना महत्वपूर्ण पक्ष है। भारत की अध्यक्षता में जी 20 लैंगिक समानता पर अधिक बल देते हुए महिलाओं की वित्त तक पहुंच, उद्यमशीलता और श्रम शक्ति में सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण मद्दों के समाधान पर बल दे रहा है। भारत सरकार ने महिलाओं के समग्र विकास की निष्ठापूर्णता के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' के विकास एजेन्डे में महिला विकास को धूरी माना है।

वुमन 20 (W-20) :- वुमन 20 को W.20 भी कहा जाता है जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान आरम्भ किया गया था। 20 का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिस्बेन शिखर सम्मेलन में अपनाई गई $\$25x25x$ प्रतिबद्ध को क्रियान्वित करना है, जिसका उद्देश्य सन् 2025 तक श्रम बल की भागीदारी में लैंगिक अन्तर को 25 प्रतिशत तक कम करना है। W-20 लिंग समावेशी आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर, श्रम समावेशन, वित्तीय समावेशन और डिजिटल समावेशन करना है (newsonair.com)।

सन् 2025 अर्थात् निकट भविष्य एवं अत्य अवधि में ही श्रम क्षेत्र में लैंगिक अंतर को 25 प्रतिशत कम कर देना एक बड़ा लक्ष्य है। यदि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए तो श्रम क्षेत्र में महिलाओं के लिए यह नवजीवन होगा। एक बड़े अंतर को कम करते हुए लैंगिक समानता के लक्ष्यों को प्राप्त कर महिला विकास में बड़े परिवर्तन के दीपक में नवज्योति की उम्मीद की जा सकती है। वुमन-20 की योजना में वित्तीय समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर महिलाओं की वित्तीय स्थिति में एक बड़े सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद है। डिजिटल क्षेत्र आज विश्व विकास की धूरी बन चुका है। डिजिटल क्षेत्रों से अवगत करवाकर इसमें महिलाओं का समावेशन का उद्देश्य महिला विकास में एक बड़ा परिवर्तन लासकता है।

लैंगिक समानता, आर्थिक प्रतिनिधित्व और प्रगति के लिए जी 20 गठबंधन (एम्पॉवर) ने व्यापार क्षेत्र में सरकारों का एक ऐसा गठबन्धन है जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व को सुदृढ़ता प्रदान करना है।

G-20 एम्पॉवर :- भविष्य की वैशिक आर्थिक वृद्धि को सुरक्षित करने की दिशा में जी 20 की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह महिला विकास एवं लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की असीमित क्षमता को प्रदर्शित करता है। भारत की अध्यक्षता में जी 20 एम्पॉवर 2023 का उद्देश्य भारत के महिला नेतृत्व विकास एजेन्डे को गति प्रदान करना है।

जी 20 की सदस्यता एवं अध्यक्षता भारतीय महिला विकास में इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही क्योंकि इससे भारत व भारतीय महिलाएं अन्य देशों की संस्कृति से जुड़ी हैं इससे वे आधुनिकता की ओर अग्रसर हुई हैं। आधुनिकीकरण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रकारों की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है (तलेसर ; 2019 : 161)। आधुनिकरण का एक लक्षण शिक्षा का व्यापक प्रसार एवं विविध शिक्षा भी है। आधुनिक समाजों में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से शिक्षित बनाने का आयोजन किया जाता है। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। नयी-नयी प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं और समितियां भी बढ़ रही हैं (तलेसरा ; 2019 : 163)। जी 20 के माध्यम से भारतीय महिलाएं आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होकर विभिन्न देशों की संस्कृति से अवगत हो विकास के लिए स्वयं भी प्रेरित हुई हैं।

निष्कर्ष

भारतीय समाज में महिलाओं की सकारात्मक स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि अवश्य हो रही है लेकिन उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। सामाजिक दृष्टि से लंबे समय से महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा निम्न महत्व दिया जाता रहा। जिससे उनकी उचित एवं सम्मानजनक स्थिति में गिरावट देखने को मिली। महिलाओं को मात्र गृहकार्य एवं संतानोत्पत्ति का साधन माना जाता रहा। परंपरा, अनुचित सामाजिक मान्यताओं, रुद्धिवादी सोच, पारिवारिक मूल्यों एवं आदर्शों के हवालों ने लंबे समय तक महिला विकास का दम घोंट कर रखा। मानव विकास का रथ मात्र एक पहिए से नहीं चल सकता यदि सही मायनों में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो दोनों पहियों को समान गति प्रदान करनी होगी (देसाई और ठक्कर ; 2001)। जी 20 समूह की भारत को अध्यक्षता मिलना सभी भारतीयों के लिए गौरवान्वित करने वाला पक्ष होने के साथ इसे भारतीय महिला विकास क्षेत्र में स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जा सकता है। जहां भारतीय समाज में स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात महिला विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा था वर्षी जी 20 में महिला विकास के विशेष प्रावधान, भारतीय महिलाओं में नई ऊर्जा का संचार कर नए आयामों को प्राप्त करते हुए महिला विकास में दीर्घ एवं सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे।

सुझाव

- जी 20 में महिलाओं के सन्दर्भ में जितना ध्यान योजना निर्माण में दिया गया है उतने ही प्रयास उनके क्रियान्वयन पर भी करने होंगे। जिससे की लक्ष्य की प्राप्ति कर महिला विकास क्षेत्र में सकारात्मक परिणामों को प्राप्त किया जा सके।
- 2023 में जी 20 के प्रयासों को आगे बढ़ाने के साथ महिलाओं के नेतृत्व विकास एजेन्डे को भी गति प्रदान करनी चाहिए।
- लैंगिक समानता को गंभीरता से लेते हुए महिलाओं की वित्तीय सुदृढ़ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लैंगिक समानता के ठोस प्रयासों के पश्चात् भी महिलाएं अब भी औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर हैं।
- डिजिटल प्रौद्योगिकी नवाचारों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने की असीमित क्षमता है लेकिन महिलाएं आज भी डिजिटल प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा की पहुंच से बाहर हैं इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- महिलाओं के प्रति परम्परागत सामाजिक सोच आज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं। महिलाओं की आधुनिकता महिलाओं को तो भा रही है लेकिन समाज का बड़ा भाग पुरुष वर्ग

इसे पचा नहीं पा रहा। हमें इसी सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है तभी सभी योजनाएँ अबाधित क्रियान्वित हो पाएंगी।

- विकास में समान रूप से भागीदार बनाने के लिए महिलाओं की अन्तनिहीत प्रतिभाओं एवं क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें मजबूती प्रदान करनी होगी। जिससे की समाज और वित्तीय क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके एवं उनका इस क्षेत्र में प्रवेश सहज बन सके।
- कामकाजी महिलाओं के अतिरिक्त गृहणीया भी अपने गृह स्थल पर सभी कार्य अवैतनिक स्तर पर करती हैं जिससे उनकी निजी आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर रहती है ऐसे में वांछनीय है कि जी 20 उनका भी साथ दे एवं उनके जीवन एवं नित्य कार्यों में आ रही बाधाओं का समाधान करें।

संदर्भ सूची

1. मिश्र जय शंकर ; 2006 : “प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास”, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, दशम संस्करण।
2. यादव सांवर सिंह ; 2021 ‘सावित्रीबाई फुले’ राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
3. गांधी एमके ; 1988 : ‘महिलाओं पर गाज गिरी’ महिला विकास अध्ययन केंद्र और नवजीवन ट्रस्ट।
4. विद्याशंकर ; 2007 : सत्यकेतु प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, प्रकाश पब्लिकेशन।
5. सिंघल लता ; 1991 : ‘भारतीय संस्कृति में नारी’, परिमल पब्लिकेशन, दिल्ली।
6. शर्मा व व्यास ; 2019 : ‘भारत का इतिहास प्रारंभ से 12वीं ईस्वी’, पंचशील पब्लिकेशन।
7. Sharma BN ; 1973 : 'Social life in Northern India', Abhinav publishers, New Delhi.
8. देसाई नीरा ; 1982 : ‘भारतीय समाज में नारी’, पॉपुलर प्रकाशन, मुंबई।
9. कुमारी शिमला ; 2021 : ‘नारी उत्थान एवं महा नारियां’ साहित्यगार प्रकाशन, धामणी मार्केट की गली, चौड़ा रास्ता, जयपुर।
10. डॉ लक्ष्मी ; 2018 : ‘चिंतन के विविध आयाम’ उत्कृष्ट प्रकाशन।
11. कांत अमिताभ ; 2023, राजस्थान पत्रिका, जोधपुर संस्करण, patrika.com. दिनांक 10.03.2023
12. तलेसरा हेमलता ; 2019 : ‘शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार’, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, प्लॉट नं. 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। वही. पृष्ठ 163
13. देसाई नीरा और ठक्कर उषा ; 2001 : ‘भारतीय समाज में स्त्री’ नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया।